न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 91/2019 (RCMS : 2019/00159) अनवान 1. अवतार सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी मौडां तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. गुरविन्द्र सिंह 2 दलजीत सिंह पुत्रगण जोगेन्द्र सिंह जाति कम्बोज निवासी चक 40 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर 4. उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर 5. बलराज सिंह 6. देवेन्द्र सिह पुत्रगण अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी मौडां निवासी श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.09.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं. 07/2018 अनवानी गुरविन्द्र सिंह आदि बनाम अवतार सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर